न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या : 11/12/20 23

उनवानः– रामलाल बनाम चिरंजीलाल

3/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील उभयपक्ष की बहस तां पर सुनी गई।
बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय मुलाहिजा
अवलोकन किया गया। सुविधा का संतुलन व
अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण
के पक्ष में चली होती है। अतः प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर उप नंबर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक
3/10/25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।